

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2018

1. मोहनलाल पुत्र कानाराम जाति बावरी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. लीलूराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अर्जुनराम पुत्र कानाराम जाति बावरी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- | | बनाम |
|--|----------------|
| 1. चौनाराम पुत्र पतराम | जाति जाट साकिन |
| 2. शिवलाल पुत्र पतराम | अयालकी तहसील |
| 3. कृष्णलाल पुत्र शिवलाल | पीलीबंगा जिला |
| 4. सन्तोदेवी पत्नि बद्रीप्रसाद | हनुमानगढ़ |
| 6. नन्दराम पिसरान बद्रीप्रसाद | राजस्थान |
| 7. रायसाहब | |
| 7. कुलवन्त पिसरान पृथ्वीराज | |
| 8 विनोद | |
| 9. राजस्थानराज्य जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | |



अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम
-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. श्री अशोक गुडेसर | प्रार्थीगण |
| 2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई | अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 9 |

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 20.06.25

.....
प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधिवक्ता श्री अशोक गुडेसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पंजीकृत व स्थायी पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थीगण स. 1 की कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंग के चक 16 एमओडी स. 76/75 के प.न. 36/268 मु.न. 63 कि.न. 23/0.253, 24/0.253 कुल 0.506 हे.क. प.न. 36/270 मु.न. 73 कि.न. 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 4/0.253, 5/0.253 6/1/0.029, 7/1/0.029, 8/1/0.028, 9/1/0.023, 10/11/0.1929 की कुल 1.408

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़



हैव. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला इस प्रकार दोनो पत्थरो की 1.914 हैव. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थीगण स. 2 की कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता स. 106/104 के प.न. 36/268 (63) कि.न. 3/0.253 हैव. नहरी प.न. 36/270 (73) 17. 16/0.167, 17/0.167, 18/2/0.084, 23/1/0.057, 24/0.114, 25/0.114 की कुल 0. 703 हैव. कमाण्ड /अनकमाण्ड नहरी मय गैर मुमकिन खाला इस प्रकार कुल दोनो पत्थरों की 0.956 हैव. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थीगण स. 3 की कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता स. 5/5 के प.न. 36/268 (63) के कि.न. 13/0.253, 14/0.253 कुल 0.506 हैव. नहरी व प.न. 36/270 (73) कि.न. 11/0.196,12/0.196,13/0.196,14/0 196,15/0.196, 16/1/0.860, 17/1/0.860, 18/1/0.860, 19/1/0.085 20/1/0.850 की कुल 1. 408 हैव. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 1.914 हैव. कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। 5. ह कि अप्रार्थीगण स. 1 ता 8 के नाम वाके तहसील पीलीबंगा के खाता स. 33/34 प.न. 33/266 मु.न. 56 कि.न. 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/0 253, 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253, 24/0. 253, 25/0.253 की कुल 2.530 हैव. नहरी मय गैर मुमकिन खाला व प.न. 33/267 मु.न. 59 कि.न. 2/0.253, 3/0.253, 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253 9/0.253, 12/0.253, 13/0. 253 14/0.253, 15/0.253 की कुल 3.036नहरी मय गैर मुमकिन प.न. 36/269 मु.न. 72 कि.न. 20/0.127, 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.253 की कुल 1.392 नहरी मय गैर मुमकिन खाला इस प्रकार तीनो पत्थरो की कुल 6. 958 हैव. मय गैर मुमकिन रास्ता खाला के दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि इसी प्रकार अप्रार्थीगण स. 4 ता 6 के नाम वाके तहसील पीलीबंगा के खाता स. 119/114 प.न. 36/268 मु.न. 63 कि.न. 1/0.253, 2/0.253, 9/0.253, 10/0. 253, 11/0.253, 12/0.253, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.253 ज हम 2.530 हैव. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला प.न. 36/269 मु.न. 72 कि.न. 1/0. 253, 2/0.253, 3/0.253, 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 10/0. 253,11/0.253, 12/0.253, 13/0.253 14/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/1/0.126 इस प्रकार कुल दोनो पत्थरो की कुल 7.463 हैव. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता व खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थीगण की मद स. 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि मे जाने के लिए कोई स्वीकृ त रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपने खेतों में आने जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पडता है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.न. 36/269 (72) के कि.न. 11,20,21 की पश्चिमी साईड को अपने खेतों में आने जाने हेतू रास्ते के रूप में उपयोग करते थे। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा फसल काशत करने पर बन्द कर दिया जाता था प्रार्थीगण ने चक 16 एमओडी के खाता स. 76/72 के प.न. 36/269 (72) के कि.न. 11 के पश्चिम साईड में 2 बिस्वा यानि 0.025 हैक् व इसी चक के खाता स. 33/34 के प.न. 36/269(72) कि.न. 20, 21 प्रत्येक की पश्चिम साईड में 2-2 बिस्वा यानि प्रत्येक में 0.025 हैव. कृषि भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतू अप्रार्थीगण को कहा परन्तु अप्रार्थीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की मद स. 2,3,4 में वर्णित कृषि भूमि में जाने हेतू अप्रार्थीगण की चक 16 एमओडी के खाता स. 76/72 के प.न 36/269 (72) के कि.न. 11 के पश्चिमी साईड में 2 बिस्वा यानि 0.025 हैव. व चक पश्चिम 16 एमओडी के खाता स. 33/34 प.न. 36/269 (72) कि.न. 20,21 प्रत्येक पूर्वी साईड में 2-2 बिस्वा

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़



यानि प्रत्येक में 0.025 हैक्. कृषि भूमि में रास्ता मंजूर फरमाया जाकर उक्त कृषि भूमि रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की तरफ से निम्न प्रकार से है—यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित राजस्व के रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं वो रास्ता कभी चालू रहा ही नहीं क्योंकि प.न. 36/269 (72) किला नं. 11, 20, 21 की पश्चिम साईड में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। वहा मौका पर किला नं. 20 में नन्दराम, रायसाहब, सन्तोदेवी की ढाणी बनी हुई है तथा दूसरे किले में नन्दराम वगैरा का ट्युबवैल लगा हुआ है तथा ट्युबवैल पर मकान बना हुआ है तथा उक्त जगह पर विद्युत कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है व इसी जगह के सामने स्वीकृत शुदा पक्का खाला है तथा उक्त किलों में मौका पर हम अप्रार्थीगण 4 ता 6 की फसल खड़ी है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए दूसरी तरफ बारानी कृषि भूमि में से रास्ता लगता है तथा उसी बारानी कृषि भूमि के रास्ते से होकर ही अपनी भूमि में आना जाना करते हैं। यह जहा रास्ता मंजूर करवाना चाहते हैं वंहा पर पहले से ही 16 फीट का खाला स्वीकृत शुदा है तथा मौका पर चल रहा है। खाला व रास्ता दोनों एक खेत में एक ही जगह तथा एक ही काश्तकार के नहीं हो सकते हैं। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए दूसरा रास्ता नहर की पटरी पर भी लगता है। जिससे अपनी कृषि भूमि में आना—जाना करते हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 16 एमओडी के खाता सं. 76/72 के प.न. 36/269 (72) के किला नं. 11 में व इसी प.न. के किला नं. 20,21 में मौका पर कोई रास्ता नहीं है तथा न ही कभी पूर्व में रास्ता रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 4 ता 6 की तरफ से निम्न प्रकार से है—यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित राजस्व के रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं वो रास्ता कभी चालू रहा ही नहीं क्योंकि प.न. 36/269 (72) किला नं. 11, 20, 21 की पश्चिम साईड में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। वहा मौका पर किला नं. 20 में हमारी ढाणी बनी हुई है तथा दूसरे किले में हमारा ट्युबवैल लगा हुआ है तथा ट्युबवैल पर मकान बना हुआ है तथा उक्त जगह पर विद्युत कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है व इसी जगह के सामने स्वीकृत शुदा पक्का खाला है तथा उक्त किलों में मौका पर हम अप्रार्थीगण 4 ता 6 की फसल खड़ी है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए दूसरी तरफ बारानी कृषि भूमि में से रास्ता लगता है तथा उसी बारानी कृषि भूमि के रास्ते से होकर ही अपनी भूमि में आना जाना करते हैं। यह जहा रास्ता मंजूर करवाना चाहते हैं वंहा पर पहले से ही 16 फीट का खाला स्वीकृत शुदा है तथा मौका पर चल रहा है। खाला व रास्ता दोनों एक खेत में एक ही जगह तथा एक ही काश्तकार के नहीं हो सकते हैं। प्रार्थीगण

सहायक कां.पट्टे
पानोबा
खिला हनुमानगढ

को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए दूसरा रास्ता नहर की पटरी पर भी लगता है। जो अपनी कृषि भूमि में आना-जाना करते हैं।



अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 16 एमओडी के खाता सं. 76172 के प.न. 36/269 (72) के किला नं. 11 में व इसी प.न. के किला नं. 20,21 में मौका पर कोई रास्ता नहीं है तथा न ही कभी पूर्व में रास्ता रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 7 व 8 की तरफ से निम्न प्रकार से है—यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित राजस्व के रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। उक्त वादाधीन कृषि भूमि में हम प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहीत था जो धरू बंटवारे में नंदराम, रायसाहब, सन्तोदेवी को प्राप्त हुआ है। उक्त कृषि भूमि से हमारा नाम कल्मजन हो चुका है। उक्त भूमि के बदले हमें दूसरे चक की भूमि प्राप्त हुई है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं वो रास्ता कभी चालू रहा ही नहीं क्योंकि प.न. 36/269 (72) किला नं. 11, 20, 21 की पश्चिम साईड में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। वहा मौका पर किला नं. 20 में नन्दराम, रायसाहब, सन्तोदेवी की ढाणी बनी हुई है तथा दूसरे किले में नन्दराम वगैरा का टयुबवैल लगा हुआ है तथा टयुबवैल पर मकान बना हुआ है तथा उक्त जगह पर विधुत कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है व इसी जगह के सामने स्वीकृत शुदा पक्का खाला है तथा उक्त किलों में मौका पर हम अप्रार्थी 4 ता 6 की फसल खड़ी है तथा प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए दूसरी तरफ बाराणी कृषि भूमि में से रास्ता लगता है तथा उसी बाराणी कृषि भूमि के रास्ते से होकर ही अपनी भूमि में आना जाना करते हैं। यह जहा रास्ता मंजूर करवाना चाहते हैं वहा पर पहले से ही 16 फीट का खाला स्वीकृत शुदा है तथा मौका पर चल रहा है। खाला व रास्ता दोनों एक खेत में एक ही जगह तथा एक ही काश्तकार के नहीं हो सकते हैं। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए दूसरा रास्ता नहर की पटरी पर भी लगता है। जिससे अपनी कृषि भूमि में आना-जाना करते हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 16 एमओडी के खाता सं. 76/72 के प.न. 36/269 (72) के किला नं. 11 में व इसी प.न. के किला नं. 20,21 में मौका पर कोई रास्ता नहीं है तथा न ही कभी पूर्व में रास्ता रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 5 निम्न प्रकार से है —यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में पंजीकृत पता से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं वह रास्ता कभी चालू नहीं रहा है क्योंकि प.नं. 36/269 (72) किला नं. 11, 20, 21 की पश्चिम दिशा में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं वहां पर मौका पर खाला स्वीकृत है व

पुष्पिका कलवती

पोलीबग

जिला हनुमानगढ़



किला नं. 20 में ढाणी बनी हुई है तथा दूसरे किले में हमारा ट्युबवैल लगा हुआ है व ट्युबवैल पर मकान बना हुआ है व उक्त जगह पर विद्युत कनेक्शन का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है। इसी के सामने स्वीकृतशुदा पक्का खाला है तथा उक्त किलो में मौका पर अप्रार्थी की फसल खड़ी है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जानें के लिये दूसरी तरफ से रास्ता लगता है। जो बारानी कृषि भूमि में से होकर अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है। ये जहां रास्ता मन्जूर करवाना चाहते है वहां पहले से ही 16.5 फीट का खाला स्वीकृतशुदा है तथा मौका पर चल रहा है। खाला व रास्ता दोनो एक खेत में एक ही जगह विधि विरुद्ध है। खाला व रास्ता दोनो एक जगह एक ही काश्तकार के नही हो सकते। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये दूसरा रास्ता नहर की पटडी पर भी लगता है जिससे वे अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है ।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 16 एमओडी के खाता सं. 76/72 के प.नं. 36/269 (72) किला नं. 11, 20, 21 में कोई रास्ता नही है तथा न ही कभी पूर्व में रास्ता चालू रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 291 दिनांक 24.03.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा अनुसार उभय पक्ष का समझौता हो गया है वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थीगण संतुष्ट है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा रास्ता स्वीकृती हेतु निवेदन किया गया । प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आपसी समझौता हो गया है इस लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर चक 16 एमओडी के खाता स. 76/72 के प.न 36/269 (72) के कि.न. 11 के पश्चिमी साईड में 2 बिस्वा यानि 0.025 हैक्. व चक 16 एमओडी के खाता स. 33/34 प.न. 36/269 (72) कि.न. 20,21 प्रत्येक पश्चिम साईड में 2-2 बिस्वा यानि प्रत्येक में 0.025 हैक्. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर के रूप डीएलसी की दुगना राशी जमा करवाया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में जांच कर किसी न्यायालय का स्थगना ओदश न होने की स्थिति में अमलदारामद करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 30.6.25... सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता विश्वा) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़